



आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26067 वर्ष 2026

बनाम

यूपी राज्य
.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : वीरेंद्र सिंह परमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सिंह परमार और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.एन. श्रीवास्तव की बात सुनी।
3. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 03 सन् 2026, धारा 103(1), 61(2), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन रथ, जिला हमीरपुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में तीन अन्य लोगों के साथ दर्ज है और आरोप के अनुसार आवेदक और तीन अन्य लोगों ने मामूली बात पर मृतक पर लकड़ी के डंडे से हमला किया जिससे उसे चोटें आईं, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाया गया पूरा आरोप पूरी तरह से झूठा है।
5. उन्होंने आगे बताया कि घटना 31.12.2025 को शाम 6.30 बजे घटी थी और मृतक की मृत्यु 02.01.2026 को हुई थी, जिसके बाद इस मामले की एफ.आई.आर. दर्ज की गई। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और आवेदक ने कथित घटना में कभी भाग नहीं लिया।
6. उन्होंने आगे कहा कि भले ही इससे यह स्पष्ट हो कि घटना में केवल लकड़ी की लाठी का इस्तेमाल किया गया था और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त व्यक्तियों का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला धारा 105 बी.एन.एस. से आगे नहीं जाता।

7. उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बावजूद सह-अभियुक्त कृष्णा कुमार उर्फ के.के. को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 24332 सन् 2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

8. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 05.01.2026 से यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

11. हालांकि, अभियोग के अनुसार, आवेदक ने अन्य चार लोगों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता के पति पर हमला किया, जिसके कारण उसे चोटें आईं और दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

12. इसके अलावा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला धारा 105 बी.एन.एस. से आगे नहीं बढ़ता है, इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। साथ ही, एफ.आई.आर. दर्ज करने में दो दिन की देरी भी हुई है।

13. इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद सह-अभियुक्त कृष्णा कुमार उर्फ के.के. को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

14. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 05.01.2026 से यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

15. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

16. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. आवेदक - प्रदीप तिवारी उर्फ प्रदीप पंडित को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

18. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के विचारण दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

एके पांडे

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।